

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वै०आ०-सा०नि०) अनुभाग-७

देहरादून: दिनांक १ | अक्टूबर, 2019


विषय: अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/24/2007/E-III(ए) दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 द्वारा केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 के लिए 30 दिन की परिलिखियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रु० 7000/- (रु० सात हजार मात्र)) की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप बोनस अनुमन्य किए जाने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार के मानकों के अधीन उक्तानुसार समूह 'ग' एवं 'घ' के अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनका ग्रेड वेतन रु० 4800/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सतर-8) तक है, को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादकता असंबद्ध बोनस(तदर्थ बोनस) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो दिनांक 31-03-2019 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम ४ छ: माह की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा की हो। वर्ष के दौरान ४ छ: महिने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महिनों (महिनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी।
2. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलिखियों को 30.4 (एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा तत्पचात दिये जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जायेगा। उदाहरण के लिए मासिक परिलिखियों की उच्चतम गणना सीमा रु० 7000/- (जहां वास्तविक परिलिखियों रु० 7000/- से ज्यादा है) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) रु० 7000 X 30/30.4 = 6907.89 (पूर्णांकित रु० 6908/-) होगा।



3. ऐसे कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्होंने छः कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे। देय तदर्थ बोनस की राशि $\text{₹} 1200 \times \frac{30}{30.4}$ अर्थात् $\text{₹} 1184.21$ (पूर्णांकित $\text{₹} 1184/-$) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलक्षियों $\text{₹} 1200/-$ से कम है, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलक्षियों के आधार पर की जाएगी।
 4. इन आदेशों के अधीन तदर्थ बोनस की धनराशि रूपये के निकटतम् पूर्णक में भुगतान की जायेगी।
 5. ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक वाद लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। जिन कर्मचारियों को वर्ष 2018–19 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।
 6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
 7. तदर्थ बोनस की स्वीकृति के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों को मानदेय केवल महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्यों के लिये ही दिया जायेगा।
 8. अवैतनिक अवकाश के मामलों को छोड़कर, अन्य प्रकार के अवकाशों की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए आगणित किया जायेगा।
 9. लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलम्बित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। ऐसा कार्मिक यदि निलम्बन की अवधि के लिए परिलक्षियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र होगा।
 10. स्थानीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को भी तदर्थ बोनस की धनराशि उक्तानुसार देय होगी किन्तु उक्त का भुगतान सम्बन्धित निकाय/ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से स्वयं वहन करना होगा। इसके लिये शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
2. अनुमन्य तदर्थ बोनस का भुगतान शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात नकद धनराशि के रूप में किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को सम्बन्धित आय-व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिसमें सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय का वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद “वेतन” के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
 सचिव।

संख्या: (1) / xxvii(7)-1(1) / 2003 तदिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपकर्मों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय/उपकर्म उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपकर्मों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्कता नहीं होगी।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।